तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 4524 / 2005 / टोंक टीकमचंद वगैरहा बनाम छोटूलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
श्री वी.पी.सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

निर्णय
दिनांकः– 16–12–2019

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 13–07–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार न्यायालय ने प्रार्थी/प्रतिवादी की आपत्ति बाबत रेसज्यूडिकेटा को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

प्रश्नगत निगरानी पूर्व–न्याय (रेसज्यूडिकेटा) के आधार पर प्रदत्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सम्बन्धित प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> "Res judicata - No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the **same parties**, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the **same title**, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court."

उपरोक्त प्रावधानान्तर्गत समान पक्षकार के मध्य प्रकरण निर्णित होने की स्थिति में उसी के सम्बन्ध में पुनः वाद का विचारण नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हमने प्रश्नगत प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति का अवलोकन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 4524 / 2005 / टोंक टीकमचंद वगैरहा बनाम छोटूलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हस्तगत मामले में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 15/2004 बउनवान छोटूलाल बनाम टीकमचंद बाबत अधिनियम की धारा 88, 188, 92–ए संस्थित किया गया। उक्त वाद की कार्यवाही में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा पेश कर विशेष आपत्ति संख्या 3 में विवेचित किया कि पूर्व में पक्षकारान के मध्य दावा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद का विचारण हुआ था। उक्त वाद में विचारण न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी एवं राजस्व मण्डल के स्तर तक मामले को निस्तारित कर दिया गया है। उक्त निर्णय से वादीगण पाबंद है। विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य दावे का अन्तिम निर्णय हो चुका है। इस कारण उसी भूमि के विषय में प्रस्तुत दावा रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त पर चलने योग्य नहीं है एवं इसी आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है। जवाबदावे की उक्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 3 निर्धारित किया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवाद्यक को सर्वप्रथम निस्तारित करने के निवेदन के आधार पर इस विचार किया गया। मामले में हमारे द्वारा प्रश्नगत रकबे बाबत पर्व व वर्तमान वाद की पृष्ठभूमि का अवलोकन किया है, जिसके अनुसार वादीगण ने पूर्व में वाद अधिनियम की धारा 92–ए एवं 188 के तहत पेश किया है तथा वर्तमान वाद अधिनियम की धारा 88, 188 व 92–ए के तहत पेश किया है। सारांशतः पूर्ववर्ती वाद व वर्तमान की प्रकृत्ति भिन्न होना प्रदर्शित होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पारित कर विवेचन कि चूँकि प्रस्तुत प्रकरण की प्रकृति भिन्न होना प्रकृट कर कोई त्रुटि नहीं की है। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 4524 / 2005 / टोंक टीकमचंद वगैरहा बनाम छोटूलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से यह सम्यक रूप से स्पष्ट है कि पूर्व निर्णित वाद एवं पश्चातवर्ती वाद में पक्षकारान एवं विवादवस्तु एक समान नहीं है। अतः नवीन वाद की विषयवस्तु भी प्रत्यक्षतः एवं वाद सम्बन्धी सारभूत विषय भी एकसमान नहीं है। अभिप्राय यह है कि नवीन प्रकरण में पक्षकार व विवादवस्तु एकसमान नहीं थे तथा नवीन वाद भिन्न वाद हेतुक पर आधारित होकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कि पूर्व–न्याय के सिद्धान्त के आधार पर स्थगित करने योग्य नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने नवीन में जो अनुतोष चाहा है, वह उसे पूर्व वाद में पारित निर्णय से उसे प्राप्त नहीं हुआ है। निष्कर्ष यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अन्तर्गत पेश की गयी आपत्ति को खारिज कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध पेश की गयी निगरानी सारहीन/बलहीन होना प्रकट होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि प्रार्थीगण में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें कोई अनुतोष देय नहीं है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–07–2005 को यथावत बहाल रखा जाता है। इसके साथ ही उल्लेखनीय है कि वादी का वाद वर्ष 2004 में संस्थित किया गया है तथा वर्तमान में मूल वाद विवाद्यक के स्तर पर नियत चला आ रहा है, जो कि दोषपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया हिस्सा है। वाद संस्थित हुए लगभग 15 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है तथा देरी से न्याय का हनन होना सम्भावित है। अतः न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 4524 / 2005 / टोंक टीकमचंद वगैरहा बनाम छोटूलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाता है कि वह मूल वाद की कार्यवाही में विधिनुसार सुनवाई कर आगामी तीन माह की अवधि में अन्तिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	